संख्या : 19/2016/178(4)/छप्पन-2015-94/2013 टी0सी-ए

प्रेषक,

कृष्ण चन्द्र राय शर्मा,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ : दिनांक : 15 फरवरी, 2016

विषय : नये वायुयान के क्रय हेतु सिंगापुर एयर शो में प्रतिभाग करने के लिये गठित उच्च स्तरीय दल के विदेश यात्रा हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या : 381/ना0उ0/ईजी0/एफ-2/2015-16, दिनांक 28-01-2016 में किये गये प्रस्ताव के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सिंगापुर में दिनांक फरवरी 21 से 16, 2016 तक एशिया के सबसे बड़े एयर शो का आयोजन किया जा रहा है। एयर शो में प्रतिभाग करने के लिये गठित उच्च स्तरीय दल की अध्यक्ष श्रीमती अनीता सिंह, प्रमुख सचिव/महानिदेशक, नागरिक उड्डयन, उत्तर प्रदेश , श्री एस0के0 रघुवंशी, सचिव, नागरिक उड्डयन, उत्तर प्रदेश, सदस्य, श्री देवेन्द्र स्वरूप, निदेशक, नागरिक उड्डयन, उत्तर प्रदेश, सदस्य/संयोजक, कै0 प्रज्ञेश मिश्र, प्रबन्धक (परिचालन), नागरिक उड्डयन निदेशालय, लखनऊ, सदस्य एवं श्री शोभित दास, मुख्य अभियन्ता, नागरिक उड्डयन निदेशालय, लखनऊ, सदस्य को सिंगापुर की विदेश यात्रा पर जाना है। गठित उच्च स्तरीय दल की अध्यक्ष श्रीमती अनीता सिंह एवं अन्य 04 अधिकारियों (कुल 05 सदस्य) के विदेश यात्रा पर होने वाले यात्रा व्यय, बीजा व्यय एवं अन्य अनुमानित व्यय रूपये 9,25,000-00 की स्वीकृति प्रदान की जानी है। अत: श्री राज्यपाल वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015-16 में विदेश यात्राओं पर होने व्यय की धनराशि रूपये 9,25,000-00 (रूपये नौ लाख पच्चीस हजार मात्र) की स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उक्त स्वीकृत धनराशि रू0 9,25,000-00 (रूपये नौ लाख पच्चीस हजार मात्र) का आहरण निदेशक द्वारा नियमानुसार किया जायेगा।

3- प्रश्नगत यात्रा के उपरान्त वायुयान किराया, लोकल यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता एवं होटल किराया आदि से सम्बन्धित व्ययों का विवरणों सहित स्वीकृत धनराशि का समायोजन नियमानुसार करते हुए इसकी सूचना 15 दिन के अन्दर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

---2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के अनुदान संख्या-38 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक "2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-आयोजनेत्तर-114-वाहन का क्रय तथा रख- रखाव-03-नागरिक उड्डयन निदेशालय-42-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या- ई-7-112/दस-2016, दिनांक 10 फरवरी, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(कृष्ण चन्द्र राय शर्मा)
अनु सचिव।

संख्या : 19/2016/178(5)/छप्पन-2016-तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार-प्रथम (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), उ0प्र0, छठा तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ।
3- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0 को प्रमुख सचिव के अवलोकनार्थ/सूचनार्थ।
5- निजी सचिव, सचिव, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0 को सचिव के अवलोकनार्थ/सूचनार्थ।
6- महानिदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0, लखनऊ।
7- वित्त (सामान्य) अनुभाग-1/2, वित्त (लेखा) अनुभाग-1
8- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
9- नियुक्ति अनुभाग-8
10- सचिव, भारत सरकार, नागर विमानन मंत्रालयण्/इकोनॉमिक अफेयर्स, मंत्रालय, नई दिल्ली।
11- कै0 प्रज्ञेश मिश्र, प्रबन्धक (परिचालन), नागरिक उड्डयन, उ0प्र0
12- श्री शोभित दास, मुख्य अभियन्ता, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0
13- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कृष्ण चन्द्र राय शर्मा)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।